

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा बाल विवाह मुक्त जागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया गया रवाना

गोण्डा। बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक कुप्रथा के उन्मूलन, बालकों एवं बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा तथा समाज को इसके दुष्परिणामों व वैधानिक प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जनपद गोण्डा में व्यापक स्तर पर विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 10.02.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा पुलिस कार्यालय परिसर से "बाल विवाह मुक्त जागरूकता रथ" को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। यह अभियान पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के समन्वय से संचालित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आमजन को संबोधित करते हुए बताया गया कि बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, मानसिक विकास एवं आत्मनिर्भर भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कम उम्र में विवाह होने से विशेष रूप से बालिकाओं को शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, मातृ मृत्यु दर एवं कुपोषण की संभावना बढ़ती है तथा उनका सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण बाधित होता है। इसलिए बाल विवाह को समाप्त करना आज के समय की सबसे बड़ी सामाजिक जरूरत है। महोदय ने बताया कि शासन की मंशा है कि हर बच्चा शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बने। बाल विवाह इस लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे सामाजिक दबाव या परंपराओं के नाम पर बच्चों के भविष्य से समझौता न करें और उन्हें उच्च शिक्षा एवं बेहतर अवसर प्रदान करें। साथ ही आग्रह किया कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले, तैयारी होती दिखाई दे या संदेह हो, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आपात स्थिति में डायल 112, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा नजदीकी थाने से संपर्क कर सकते हैं। समय पर मिली सूचना से प्रशासन त्वरित हस्तक्षेप कर बच्चों के जीवन को सुरक्षित बना सकता है।

यह जागरूकता रथ जनपद के सभी विकासखण्डों, दूरस्थ ग्राम पंचायतों, कस्बों, बाजारों, स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पहुँचकर लोगों को जागरूक करेगा। रथ के माध्यम से ध्वनि प्रचार, पोस्टर, पम्पलेट, बैनर तथा संवाद कार्यक्रमों के जरिए आमजन को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष तथा 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है और यह पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अभियान के अंतर्गत यह भी प्रचारित किया जाएगा कि बाल विवाह को बढ़ावा देने या आयोजित करने वाले माता-पिता, अभिभावक अथवा रिश्तेदारों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसमें 02 वर्ष तक का कारावास एवं 01 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। विवाह सम्पन्न कराने वाले पंडित, मौलवी, पादरी या अन्य धर्मगुरु भी दण्ड से मुक्त नहीं होंगे। इसके साथ ही नाई, हलवाई, बैण्ड, टेन्ट हाउस, कैटरिंग सेवा प्रदाता अथवा किसी भी रूप में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। गोण्डा पुलिस द्वारा बाल विवाह में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जनपद को बाल विवाह मुक्त बनाने हेतु सक्रिय सहयोग का संकल्प लिया। सभी ने यह विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयास, निरंतर जागरूकता और कानूनी सख्ती के माध्यम से इस कुप्रथा को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। जागरूकता रथ के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर तक यह संदेश पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि बाल विवाह अपराध है— बच्चों को शिक्षा

और सुरक्षित भविष्य देना हम सभी का दायित्व है। प्रशासन की मंशा है कि इस अभियान को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हो और इसे जनआंदोलन का रूप दिया जाए।

आइए, हम सब मिलकर बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाएँ, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करें और एक सुरक्षित, शिक्षित एवं सशक्त समाज के निर्माण में भागीदार बनें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 10.02.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

कार्यवाही—

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0—188/24, धारा 306 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अजय पाण्डेय पुत्र पारसनाथ निवासी ग्राम सरहरा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को ग्राम सरहरा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

वादी मुन्नालाल पाण्डेय निवासी ग्राम सरहरा, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 28.03.2024 को थाना को0 नगर में सूचना दी कि दिनांक 18.10.2023 को अमन पाण्डेय पुत्र राकेश पाण्डेय व अजय पुत्र पारसनाथ द्वारा उसके पुत्र दिव्यराज पाण्डेय को बहला-फुसलाकर गोण्डा लाया गया तथा भारतीय स्टेट बैंक, कोतवाली नगर गोण्डा के सामने उसके ऊपर जोर दबाव डालकर डीजल-पेट्रोल तथा माचिस की तीली से आग लगवा दी। राहगीरों द्वारा आग बुझाकर उपचार हेतु भेजा गया, जहां से लखनऊ रेफर होने के बाद दिनांक 19.10.2023 को उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त— अजय पाण्डेय पुत्र पारसनाथ निवासी ग्राम सरहरा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को ग्राम सरहरा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अजय पाण्डेय पुत्र पारसनाथ निवासी ग्राम सरहरा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—188/24, धारा 306 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 अंकित उपाध्याय।
02. उ0नि0 रोहित रणवीर।
03. कां0 पीयूष गोस्वामी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 10.02.2026

थाना छपिया व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 786 ग्राम नाजायज गांजा बरामद—

कार्यवाही:—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना छपिया व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ चिरई पुत्र राजाराम, निवासी ग्राम सबना थाना खोडारे जनपद गोण्डा को बभनी रेलवे क्रासिंग स्थित एक गुमटी से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 786 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 09.02.2026 की शाम थाना छपिया व आबकारी की संयुक्त टीम अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि सूचना प्राप्त हुई कि बभनी रेलवे क्रासिंग तिराहे के पास स्थित एक गुमटी में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से गांजा बेचा जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को दबिश दी गयी तथा अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ चिरई पुत्र राजाराम, निवासी ग्राम सबना थाना खोडारे जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 786 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राकेश कुमार उर्फ चिरई पुत्र राजाराम, निवासी ग्राम सबना थाना खोडारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-52/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 786 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. आबकारी निरीक्षक श्री अभय कुमार गुप्त।
02. प्र0आसि0 सुरेश चन्द भारतीय।
03. उ0नि0 घनश्याम वर्मा।
04. हे0का0 अरविन्द कुमार
05. हे0का0 बृजेश भारती।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 10.02.2026

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का कारावास व रूपये 20,000/- अर्थदण्ड की सजा-

दिनांक 29.04.2020 को थाना खोड़ारे क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना खोड़ारे में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी नाबालिग नातिन के साथ विपक्षी राकेश कुमार उर्फ श्री प्रकाश द्वारा शौच जाते समय छेड़छाड़ की गयी है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना खोड़ारे में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा राकेश कुमार उर्फ श्रीप्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 28.06.2020 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में आज दिनांक 10.02.2026 को उक्त अभियोग में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट महोदय श्री निर्भय प्रकाश द्वारा मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री सुनील मिश्रा, कोर्ट मोहरीर का० प्रवीन आर्या थाना खोड़ारे के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी अभियुक्त राकेश कुमार को 03 वर्ष का कारावास व 20,000/- रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. राकेश कुमार उर्फ श्री प्रकाश पुत्र रवि प्रकाश नि० ग्राम केवटाहिया मौजा औसानी बुजुर्ग थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-90/2020, धारा 354,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।